बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांक :– DOH/CS/02/2025- पी०पी०एम०- 193- /कृ०, पटना दिनांक - 07. 01. 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 956.25 लाख (नौ करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 956.25 लाख (नौ करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उच्च तकनीक बागवानी को बढ़ावा देना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। इससे पूरे वर्ष उद्यानिक फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता मे वृद्धि, ग्रामीण बेरोजगार पुरूष एवं महिलाओं के बीच स्वरोजगार का सृजन तथा बाजार में उद्यमियों के माँग के अनुरूप फल, फूल एवं सब्जियों के उत्पादन एवं तद्नुरूप उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–1 एवं 2 के अनुसार किया जायेगा।

3. योजना का घटकवार विवरण निम्नवत् है :–

3.1 अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) :– योजनांतर्गत इस घटक का कार्यान्वयन अनुसूची–2 अनुरूप राज्य के 28 जिलों में किया जायेगा।

अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण का कार्यान्वयन DPR के तहत अनुसूची–1 के आधार पर किया जायेगा। एक अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण अंतर्गत एक इकाई के रूप में 2000 वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस निर्माण के साथ बीचड़ा एवं अन्य सामग्री/यंत्रों के लिए इकाई लागत 25,00,000.00 रूपये पर 75 प्रतिशत अनुदान यानि 18,75,000.00 रूपये प्रति यूनिट अनुदान DBT in kind/Cash के रूप में देय होगा। अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण अंतर्गत कंपनी/कृषक को राशि 3 किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त यानि कुल राशि का 25 प्रतिशत यानि 4,68,750.00 रूपये ग्राउटिंग होने के पश्चात देय होगा। ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात द्वितीय किस्त के रूप में 35 प्रतिशत की राशि यानि 6,56,250.00 रूपये एवं शेष 40 प्रतिशत की राशि यानि 7,50,000.00 रूपये अंतिम किस्त के रूप में पौध रोपण के पश्चात देय होगा।

4. योजना अंतर्गत घटक की प्रावधानित अनुदान राशि की विमुक्ति नियमानुसार सत्यापनोपरांत जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा पर की जायेगी। सभी रिकॉर्ड का संधारण कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक 01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक–28.04.2025 को स्वीकृत 10833.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक–17.03.2025 से अनुमोदन प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र संख्या–113 (BR 114) दिनांक 19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

6. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 17.03.2025 को अनुमोदित है।

7. इस योजना को भारत सरकार के पत्रांक–03/03/2025–KY दिनांक–17.03.2025 के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य एवं सहायतानुदान के अनुसार तैयार की गई है।

8. योजना अंतर्गत अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) घटक के लिए इकाई दर का निर्धारण एम.आई. डी.एच. गाईड–लाईन के अनुरूप किया गया है।

9. **योजना का कार्यान्वयन :–**

क. **आवेदकों का चयन** :–विभिन्न माध्यम से प्रचार–प्रसार कर कृषकों से Online आवेदन लिया जायेगा। प्राप्त आवेदन के चयन की प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन अनुदेश द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचित किया जायेगा। विज्ञापन की प्रति चयनित जिलों में स्थापित जिला कृषि कार्यालयों/जिला उद्यान कार्यालयों/प्रखंड विकास कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित कराये जायेंगे, ताकि कृषकों की अधिकत्तम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी कृषकों को विभाग के Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा। जिला उद्यान पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

ख. **ढाँचागत सुविधा (Infrastructure) का निर्माण** :–योजना के अनुसार अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का निर्माण कृषक द्वारा कराया जायेगा। कृषक समूह के अन्तर्गत आवेदक को योजना लाभ हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। कृषक निर्धारित मॉडल के निर्माण में ऑनलाईन आवेदन के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित एजेन्सी का सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार के NCPAH द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता की सम्पुष्टि संबंधित जिलों के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ग. योजना का संचालन जिला उद्यान पदाधिकारी के देख–रेख में कराया जायेगा। संरक्षित खेती योजना पूर्व के वर्षों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/राज्य योजना/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसलिए संरक्षित खेती योजना अंतर्गत FLD का लाभ पूर्व के 03 वर्षों में लाभ ले चुके कृषकों को लाभ देय नहीं होगा।

घ. अधिष्ठापन के पश्चात् FLD अंतर्गत शेडनेट नष्ट होने पर कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु स्वयं राशि का वहन किया जायेगा एवं तकनीकी ज्ञान संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

ङ. जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे एवं सफलतापूर्वक संचालन के लिए मार्ग निर्देशन करेंगे। मिशन निदेशक योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि को कार्यक्रम की प्रगति से अवगत करायेंगे।

च. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिला उद्यान पदाधिकारी हैं।

10. उच्च तकनीक बागवानी योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर जिला उद्यान पदाधिकारी करेंगे।

11. एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में (60:40) अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूची–3 अनुरूप निदेशक उद्यान बिहार, पटना–सह –मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा केन्द्रांश की राशि अनुसूची–2 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को Virtual Allotment के तहत आवंटित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–2 के अनुसार केन्द्रांश में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा केन्द्रांश की राशि के विरूद्ध Claim Raise करने के उपरान्त Reporting Office द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

12. केन्द्रांश अंतर्गत सामान्य कोटि में स्वीकृत राशि अवशेष राशि से अधिक है। इस योजना के लिए उद्व्यय उपलब्ध है। अगले अनुपूरक आगणन/आंतरिक सामंजन के माध्यम से कोटिवार राशि प्राप्त कर निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

A

13. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA SPARSH) के रूप में निदेशक उद्यान, बिहार, पटना–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी दायित्व का निर्वहन करेंगे।

14. योजना का कार्यान्वियन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

16. योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग के लिए 82.35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15.68 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.96 प्रतिशत अनुपात में किया जायेगा। लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

17. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार– सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के द्वारा केन्द्रांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

18. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा पत्रांक–ब0–15/बी0एस0 जी0–57/25/–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

20. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर किया जा सकेगा।

21. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

22. इस योजना अन्तर्गत कोषागार से निकासी हेतु स्वीकृत राशि से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	7075.52	787.50000

मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी. एफ.एम. एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1470.72	150.00000
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	107.59	18.75000
योग	**8653.83**	**956.25000**

23. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक–11.12.2025 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तद्पोरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–917 दिनांक–01.12.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–26.12.2025 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DOH/CS/02/2025 के पृ०सं०–97/टि० पर दिनांक–05.01.2026 को प्राप्त है।
24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
25. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DOH/CS/02/2025 के पृ०सं०–95/टि0 पर दिनांक–29.12.2025 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या–942 दिनांक–29.12.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - सी०सी०एस० - 193 - /कृ०, पटना दिनांक – 07.01.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - सी०सी०एस० - 193 - /कृ०, पटना दिनांक – 07.01.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - पी०पी०एम०- 193 - /कृ०, पटना दिनांक - 07. 01. 2026

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - पी०पी०एम०- 193 - /कृ०, पटना दिनांक - 07. 01. 2026

प्रतिलिपि : निदेशक पी०पी०एम०/जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - पी०पी०एम०- 193 - /कृ०, पटना दिनांक - 07. 01. 2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DOH/CS/02/2025 - पी०पी०एम०- 193 - /कृ०, पटना दिनांक - 07. 01 2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Annexure-1

Annual Action Plan of Hi-Tech Horticulture Scheme (2025-26) Under Mission Integrated Development Horticulture (MIDH)

Financial Target (in Lakh Rs.)

Sl. No.	Component Name	Total Cost as per MIDH Guideline	Subsidy as per MIDH Guideline	Subsidy Cost per unit	Phy Target	Financial target (Central Share+State Share)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Front Line Demonstration	Rs. 25.00 Lakh/Unit	75% of the Total cost	Rs. 18.75 Lakh/Unit	51	956.25
	Total Project cost				**51**	**956.25**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	क्रियान्वयन एजेंसी	(भौतिक लक्ष्य यूनिट में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)						कुल योग	
		भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य				
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, बांका	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय	2	0	0	37.500	0.000	0.000	2	37.500
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा	3	0	0	56.250	0.000	0.000	3	56.250
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	3	1	0	56.250	18.750	0.000	4	75.000
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
20	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
21	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	3	1	0	56.250	18.750	0.000	4	75.000
22	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
23	जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
24	जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
25	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
26	जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान	1	0	0	18.750	0.000	0.000	1	18.750
27	जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली	2	1	0	37.500	18.750	0.000	3	56.250
28	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	2	0	1	37.500	0.000	18.750	3	56.250
	कुल योग	**42**	**8**	**1**	**787.500**	**150.000**	**18.750**	**51**	**956.250**

देव नारायण महतो

...षेक कुमार)

अनुसूची–3

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के निकासी एवं व्ययन **पदाधिकारी का कोटिवार वित्तीय लक्ष्य**

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल
1	निदेशक उद्यान	787.500	150.000	18.750	956.250

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)
निदेशक उद्यान
बिहार, पटना